अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत

सन्दर्भित वाद संख्या–83/2013–14

सम्बद्ध वाद सं0–123/2013–14

शिवजी मिश्र बनाम प्रभूनारायण यादव।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित

अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद की कार्रवाई आवेदक शिवजी मिश्र पिता–स्व0 पिताम्बर मिश्र ग्राम + पो0–देकुली थाना–बहादुरपुर जिला–दरभंगा द्वारा दिनांक–11.04.2013 को समाहर्त्ता महोदय के समक्ष दिया गया जो प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, दरभंगा के निबंधन सं0– 1073 दिनांक–11.04.2013 के माध्यम से इस न्यायालय को प्राप्त हुआ के आलोक में दिनांक– 29.04.2013 को प्रारंभ की गई। तदुपरान्त आवेदक के द्वारा दिनांक– 10.05.2013 को स्वच्छ वाद पत्र अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया जिसपर सुनते हुए वाद की प्रविष्टि की गई एंव वाद को पंजीकृत किया गया जिसका वाद सं0– 123/13–14 पड़ा। परन्तु दिनांक– 06.06.2013 को सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आई कि समान प्रश्न को लेकर पूर्व से वाद सं0– 83/13–14 की सुनवाई की जा रही है, अतएव पक्षकारों के अनुरोध पर वाद सं0– 123/13–14 को इस अभिलेख के साथ सम्बद्ध कर दिया गया। इस वाद में विपक्षी के रूप में प्रभूनारायण यादव पिता–स्व0 जनक यादव, ग्राम + पो0–देकुली थाना– बहादुरपुर जिला– दरभंगा के निवासी है तथा विवाद के अन्तर्गत मौजा पिपरौलिया अंचल हायाघाट में अवस्थित निम्न ब्योरे की भूमि है :–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
338 (पुराना)	884 (पुराना)	03 कट्ठा	उत्तर– निज बिक्रेता
146 (नया)	885		द0– मो0 हुसैन
	955 (नया)		पू0–देवकी मिश्र वो रामचरण महतो
			प0– निज

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी ने सूचना पाकर कार्रवाई में भाग लिया है तथा बयान तहरीर के साथ दावे के समर्थन में कागजी प्रमाण दाखिल किया है। उभय पक्षों के दावे प्रतिदावे पर सुनते हुए इस वाद की विधिवत सुनवाई दिनांक–12.07.2013 को पूर्ण की गई है।

आवेदक के दावे के अनुसार प्रश्नगत भूमि आवेदक ने हाल सर्वे रैयत रामनन्दन मिश्र से दिनांक–01.06.1995 को केवाला

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	द्वारा प्राप्त किया है जो इनके दखल कब्जे में चली आ रही है तथा इनके दखल कब्जे को पाकर सरकार के सिरिस्ता में इनका नाम दर्ज होकर रसीद निर्गत होने लगा तथा ये रसीद प्राप्त कर रहे हैं। और विपक्षी इनके जमीन को हड़पना चाहते है तथा विपक्षी इनके केवाला की भूमि का आर (मेठ) तोड़कर अपने जमीन में मिलाकर प्लॉट बनाने के उदेश्य से तोड़ दिये हैं। आवेदक ने केवाला की छायाप्रति, रैयती खतियान की छायाप्रति एंव जमावंदी सं0–282 अन्तर्गत अपने नाम वर्ष 2012–13 का राजस्व रसीद दाखिल किया है। विपक्षी के दावे के अनुसार साबिक खाता नं0–338 साबिक खेसरा नं0–884 का रकवा–02 कट्ठा 01 धुर वो साबिक खेसरा नं0–885 का रकवा–05 कट्ठा 19 धुर भूमि इन्होंने दिनांक–27.02.1996 को पीताम्वर मिश्र पिता–ठीठर मिश्र देकुली से बयनामा द्वारा हासिल किया है तथा उक्त भूमि बिक्रेता को अपने परिवार में आपसी बाखुदहा बँटवारा से हासिल थी जिसका दाखिल खारिज विपक्षी के नाम होकर रसीद खुद विपक्षी अपने नाम हासिल करते चले आ रहे है और रिभिजनल सर्वे खतियान अजनाम पिताम्बर मिश्र हाल खेसरा नं0–955 हाल खाता नं0–146 प्रकाशित हुआ। उभय पक्ष के दावे प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने से विदित होता है कि विपक्षी के बिक्रेता आवेदक के पिता है कोई अन्य नही और आवेदक ने अपने चाचा रामानन्द मिश्र से बयनामा कराया है। परन्तु विपक्षी की ओर से दाखिल मुख्य न्यायिक दण्डधिकारी के दरभंगा के न्यायालय C.R-No. 1966/12 शिवजी मिश्र बनाम रामानंदन मिश्र के नालिस एवं आदेश फलक की अभिप्रमाणित प्रति के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक शिवजी मिश्र के द्वारा दिनांक–25.09.2012 को यह नालिस किया गया कि ये बम्बई में रहते है और वर्ष 1995 में रामानंदन मिश्र ने इनसे खाता नं0–338 खेसरा नं0–884 एवं 885 की रकवा–03 कट्ठा भूमि चालिस हजार में बेंचा लेकिन जब ये उक्त जमीन को देखने गये तो पता चला कि मुदालह पूर्व में ही प्रभू यादव के हाथ बेंच चुके है जो जमीन पिपरौलिया मौजा का है जबकि हम से बात देकुली की जमीन का किये थे। गाँव में पंचायत बैठाये तो बोले कि गाँव में जो जमीन है, उपरोक्त जमीन के बदले जमीन ले लिजिए जिसका खेसरा नं0–601 देकुली मौजे का है। हम बोले कि हमारे यहाँ कोई रहता नहीं है आपही बटाई किजिए एंव मुझे अनाज वाँटकर दे दिजिये एवं मुदालह उपजा बाँटकर देने लगे। इधर जब ये बम्बई छोड़कर गाँव आये एवं मुदालह से बोले कि जमीन छोड़ दिजीए हम अपने करेंगें तो मुदालह बोला कि तुमको उपरोक्त जमीन दिये है, इस जमीन से क्या मतलब है, एवं उपजा भी देना बन्द कर दिया। तब इन्होंने गाँव में दिनांक–23.09.2012 को पंचायत बैठाये	19/09/13

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	लेकिन मुदालह पंचायत मानने से इंकार कर गये। इस तरह मुदालह ने मेरे साथ धोखा–धड़ी अपने फायदा के लिए एंव मुझे नुकसान पहुँचाने हेतु मुझसे 8000 रूपया ठग लिया एंव संगीन जुल्म किया है इसलिए नालसी दायर करता हुँ कि मुदालह को सजा फरमाया जाय। इस प्रकार इस वाद में आवेदक के विरोधाभाषी बयान से प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दावा विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। चूँकि मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में दाखिल आवेदक द्वारा अपने विक्रेता के विरूद्ध धोखा–धड़ी के मामला से स्वतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में विपक्षी के विरूद्ध लगाया गया आरोप बेबुनियाद एंव मनगढ़ंत है तथा विपक्षी ने किसी मेढ़ को तोड़कर अपने भूमि में नहीं मिलाया है। बल्कि स्वंय आवेदक के पिता ने विपक्षी को प्रश्नगत भूमि सहित कुल 08 कट्ठा दिनांक–27.02.1996 को बयनामा किया है जिसका दाखिल खारीज होकर विपक्षी के नाम जमावंदी कायम है एवं विपक्षी मालगुजारी भुगतान कर रसीद प्राप्त करते है अतएव विपक्षी का दावा स्वंय आवेदक के व्यान से ही सम्पुष्ट होता है, अतएव आवेदक द्वारा अंचल अमीन से स्थल का नापी कराकर अपनी जमीन विपक्षी की जमीन से अलग करने का अनुरोध स्वीकार्य प्रतीत नहीं होता है। अतः उपर्युक्त समीक्षोपरान्त प्रस्तुत वाद अन्तर्गत आवेदक के दावे एवं अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए इस वाद को खारिज किया जाता है। अभिलेख संचिकास्त करें। **लेखापित एव शुद्धित** 19/09/13 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 19/09/13 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	